न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 146/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00296)

1. घासी पुत्र नारायण जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज.। (मृतक दौराने अपील)

1/1. महेन्द्र जाट दत्तक पुत्र स्व. श्री घासी नाबालिक जरिये सरंक्षक पिता रामप्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज. ।

—**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. रामफूल पुत्र कजोडमल
2. मदन पुत्र कजोडमल
3. प्रेमदेवी पुत्री कजोडमल
4. कौशल्या देवी पुत्री कजोडमल
5. कैलाशी देवी पुत्री कजोडमल

समस्त जाति जाट निवासी उदयपुरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

—रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील कोटखावदा मिसल नम्बर 9/2008 (3/2016) निर्णय दिनांक 24.09.2018

उपस्थित—

1. श्री राकेश कुमार, वकील अपीलान्ट
2. श्री मोहन लाल शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ओर से

निर्णय

दिनांक —04.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 24.09.2018 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.07.2019 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय अपील संख्या 17/2009 जिला जयपुर में केली देवी बनाम घासी वगैरहा में निर्णय दिनांक 22.10.2009 के द्वारा खातेदार की विरासत के प्रश्नगत नामान्तरकरण के वक्त पक्षकारान के मध्य विवाद था और विवादित नामान्तरकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत तस्दीक करने का अधिकार तहसीलदार/नायब तहसील को है। ग्राम पंचायत को केवल अविवादित नामान्तरकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) तहत तस्दीक करने का अधिकार है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया विवादित नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार विहीन एवं त्रुटीपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने भी क्षेत्राधिकार विहीन एवं त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण को बहाल रखकर अपीलार्थी की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। मृतक कल्याण एवं अपीलान्ट केली द्वारा किये गये हकत्याग पत्र पंजीबद्ध भी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा कल्याण के वारिसान की जांच भी नहीं की गई एवं अपीलान्ट जो कल्याण की जायन्दा पुत्री थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया। हकत्याग पत्र के संबंध में वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जहां से हक त्याग के संबंध में निर्णय होना है मैं समझता हूं कि कल्याण की विरासत के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद होने कल्याण के विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बाद जांच कर पुनः नामान्तरकरण तहसीलदार चाकसू हाल कोटखावदा द्वारा स्वीकार किया जाना उचित होगा। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी का दिनांक 08.03.2007 एवं प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 20.05.2006 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार चाकसू हाल कोटखावदा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर कल्याण के विधिक वारिसान की जांच कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः नामान्तरकरण तय करने के निर्देश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जयपुर ने निर्णय दिनांक 24.09.2018 द्वारा केली देवी पुत्री कल्याण की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.05.2006 को निरस्त किया जाकर कल्याण पुत्र नानगा की खातेदारी भूमि ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटखावदा के खसरा नम्बर 376 लगायत 380, 462, 463, 471, 473, 475, 480, 481, 482, 484 व 530 कुल किता 17 कुल रकबा 8.63 हैक्ट. में से कल्याण का हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 469 रकबा 0.07 हैक्ट. किस्म गै0 मु0 चाह में हिस्सा 1/12 की विरासत केली पुत्री कल्याण पत्नि कजोड मल जाति जाट है। केली पुत्री कल्याण की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण रामफूल, मदन पुत्रान कजोड मल, प्रेम देवी, कौशल्या देवी पुत्रियान कजोड मल के नाम दर्ज किये जाने की आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 24.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स घासी पुत्र नारायण वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर दिनांक 24.09.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि कल्याण पुत्र नानगा की खातेदारी भूमि ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटखावदा में स्थित थी जिसके खसरा नं. 376 लगायत 380, 462, 463, 471, 473, 475, 480 से 482, 484, 530 कुल किता 17 कुल रकबा 8.63 है0 में हिस्सा 1/3 तथा खसरा नं. 469 रकबा 0.07 है0 गैर मुमकिन चाह में हिस्सा 1/12 जिसका नामान्तकरण उक्त कल्याण की मृत्यु के उपरान्त उसके दत्तक पुत्र अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत बडोदिया द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.05.2006 को स्वीकृत किया था जिस नामान्तकरण के खिलाफ रेस्पोडेन्ट की माता कैली देवी ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू में प्रस्तुत की थी जो उक्त न्यायालय ने दिनांक 08.03.2007 को खारिज कर दी थी। जिसकी द्वितीय अपील रेस्पोडेंट की माता कैली देवी ने न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर में अपील नं. 17/2009 प्रस्तुत की थी जिसमे उपरोक्त न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 22.10.2009 को पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के निर्णय दिनांक 08.03.2007 एवं प्रश्नगत नामान्तकरण नं. 89 दिनांक 20.05.2006 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार चाकसू को गवाह बयान लेकर निर्णित करने हेतू रिमाण्ड किया था जिसके बाद स्वयं रेस्पोडेंट कैली देवी ने एक दावा घोषणा खातेदारी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू मे मुकदमा नं. 17/10 उनवानी कैली बनाम घासी प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया था तथा एक दावा माननीय में मुकदमा नं. 151/200 जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर उनवानी कैली बनाम घासी प्रस्तुत कर घासी के हक में निष्पादित दस्तावेजो गोदपत्र, सहमति पत्र, हक त्याग को निरस्त करवाने बाबत प्रस्तुत किया था तथा स्टे प्राप्त किया था जिस पर दिनांक 12.04.2010 को तहसीलदार चाकसू ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के स्थगन के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही को उपखण्ड अधिकारी चाकसू के अन्तिम निर्णय तक स्थगित कर दी थी फिर भी बिना किसी आधार के उक्त पत्रावली पुनः चालू कर दिनांक 24.09.2018 को निर्णय कर रेस्पोडेंट को मृतक कल्याण का वारिस घोषित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :– ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत नामान्तकरण नं. 89 दिनांक 20.05.2006 सक्षम दस्तावेजो के आधार पर स्वीकृत किया था जिसमे हक त्याग द्वारा कल्याण दिनांक 29.09.1989, कैली देवी का शपथ पत्र दिनांक 26.02.1993 तथा एक सहमति पत्र कैली देवी दिनांक 15.01.1999 था जिसमे स्वयं कल्याण व कैली देवी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ने अपीलार्थी को कल्याण का विधिक वारिस स्वीकार किया था जिनके आधार पर ग्राम पंचायत ने मजमे आम में प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकृत किया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों के सम्बन्ध में अपना कोई भी विवेचन नही किया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त तीनो दस्तावेजो को निरस्त घोषित करवाये जाने बाबत स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दावे उनवानी कैली बनाम घासी मुकदमा नं. 151/2008 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर जिला जयपुर की पत्रावली प्रस्तुत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही उक्त निर्णय कर दिया जो कि निस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 12.04.2010 को धारा 135 (2) एल.आर. एक्ट में दर्ज उक्त प्रकरण की कार्यवाही को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के निर्णय तक स्थगित कर दिया था तथा कार्यवाही ड्रोप कर दी थी उसके बाद बिना किसी आदेश के उक्त पत्रावली दिनांक 06.06. 2010 को न्याय आपके द्वार अभियान में प्रस्तुत की गई जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नही थी इसके पश्चात दिनांक 14.02.2018 को रेस्पोडेंट के आवेदन पर बिना किसी आधार के उक्त पत्रावली को नम्बर पर ले लिया गया जबकि उक्त दिनांक तक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के प्रकरण विचाराधीन थे तथा स्टे आदेश प्रभावी थे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण को समझे ही पत्रावली को चालू कर लिया तथा हाल अपीलार्थी के नोटिस जारी करे। अपलार्थी के नोटिस आने पर अपीलार्थी जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपथित हुआ तथा दिनांक 19.09.2018 को फर्द के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा अधिनस्थ न्यायालय को उक्त कार्यवाही सक्षम न्यायालयो से निर्णय होने तक रोकने हेतु निवेदन किया जिसे पीठासीन अधिकारी ने मौखिक रूप से स्वीकार कर लिया इस पर अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता न्यायालय के यहां से कार्यवाही स्थगित होना मानकर वापस आ गये किन्तु बाद में बहस सुना जाकर बताकर पत्रावली दिनांक 24.09.2018 को निर्णय हेतु नियत कर उक्त दिनांक को निर्णय कर दिया जिसकी कोई भी जानकारी उक्त समय अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को नही हुई। उक्त गलत निर्णय प्राप्त करने के बावजूद रेस्पोडेन्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के यहां लगातार मय वकील उपस्थित होते रहे गत दिनांक 25.04.2019 को रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर वाले मुकदमें को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवा लिया तथा इसके तुरन्त बाद दिनांक 30.04.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के दावे को विड्रो कर लिया जबकि उक्त दावे में आगामी पेशी 28.05.2019 थी अर्थात तारीख के बीच में ही दावा विड्रो कर लिया दिनांक 28.05.2019 को नियत दिनांक पर जब अपीलार्थी मय वकील उपखण्ड अधिकारी चाकसू के न्यायालय में पहुंचा तो उक्त मुकदमें को दिनांक 30.04.2019 को ही विड्रो हो जाने की जानकारी हुई इस पर अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को बहम हुआ कि रेस्पोडेंन्ट ने दोनो दावे क्यो विड्रो व खारिज करवा लिये इस पर सारी तहकीकात करने पर तहसीलदार कोटखावदा के यहां जाने पर करीब 15.06.2019 को अपीलांट को पता चला कि अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में ही दिनांक 24.09.2019 को कार्यवाही स्थगित करने के स्थान पर निर्णय कर दिया है जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.06.2019 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 19.06.2019 को प्राप्त हुई उसके पश्चात जून के अवकाश के कारण दिनांक 01.07.2019 को जिला एवं सैशन न्यायालय के प्रकरण की नकल लगाकर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है देरी से माफी के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी भली भांति सुस्थापित थे कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आगे बेचान कर दिया है तथा जिन केताओं को स्वयं रेस्पोडेंट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के प्रकरण में पक्षकार बनाया हुआ है ऐसे में इतने बेचान, प्रकरण होने के बावजूद, बिना न्यायालय श्रीमान् के आदेशों की पालना में गवाह सबूत लिये, बिना जांच किये, स्थगन होने के बावजूद, पूर्व में कार्यवाही स्थगित करने व परिस्थिति परिवर्तन नही होने के बावजूद सारे नियम, विधियो के विपरित जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। स्वयं रेस्पोडेंट ने अपना दस्तावेज निरस्ती का दावा खारिज करवाया है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा घोषणा का दावा विझो किया है अर्थात दस्तावेजात आज भी सही व कानूनी है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूरी स्थिति में परिवर्तन हो गया है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय निर्णय के विरोधाभाष में है इस कारण भी निरस्तनीय है। अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2018 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के मुकदमो व आदेशो के परिपेक्ष्य में पुनः गवाह, बयान, सबूत लेकर कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 5 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय अपील संख्या 17/2009 जिला जयपुर में केली देवी बनाम घासी वगैरहा में निर्णय दिनांक 22.10.2009 के द्वारा खातेदार की विरासत के प्रश्नगत नामान्तरकरण के वक्त पक्षकारान के मध्य विवाद था और विवादित नामान्तरकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत तस्दीक करने का अधिकार तहसीलदार/नायब तहसील को है। ग्राम पंचायत को केवल अविवादित नामान्तरकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) तहत तस्दीक करने का अधिकार है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया विवादित नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार विहीन एवं त्रुटीपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने भी क्षेत्राधिकार विहीन एवं त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण को बहाल रखकर अपीलार्थी की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। मृतक कल्याण एवं अपीलान्ट केली द्वारा किये गये हकत्याग पत्र पंजीबद्ध भी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा कल्याण के वारिसान की जांच भी नहीं की गई एवं अपीलान्ट जो कल्याण की जायन्दा पुत्री थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया। हकत्याग पत्र के संबंध में वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जहां से हक त्याग के संबंध में निर्णय होना है मैं समझता हूं कि कल्याण की विरासत के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद होने कल्याण के विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बाद जांच कर पुनः नामान्तरकरण तहसीलदार चाकसू हाल कोटखावदा द्वारा स्वीकार किया जाना उचित होगा। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी का दिनांक 08.03.2007 एवं प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 20.05.2006 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार चाकसू हाल कोटखावदा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर कल्याण के विधिक वारिसान की जांच कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः नामान्तरकरण तय करने के निर्देश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जयपुर ने निर्णय दिनांक 24.09.2018 द्वारा केली देवी पुत्री कल्याण की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.05.2006 को निरस्त किया जाकर कल्याण पुत्र नानगा की खातेदारी भूमि ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटखावदा के खसरा नम्बर 376 लगायत 380, 462, 463, 471, 473, 475, 480, 481, 482, 484 व 530 कुल किता 17 कुल रकबा 8.63 हैक्ट. में से कल्याण का हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 469 रकबा 0.07 हैक्ट. किस्म गै0 मु0 चाह में हिस्सा 1/12 की विरासत केली पुत्री कल्याण पत्नि कजोड मल जाति जाट है। केली पुत्री कल्याण की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण रामफूल, मदन पुत्रान कजोड मल, प्रेम देवी, कौशल्या देवी पुत्रियान कजोड मल के नाम दर्ज किये जाने की आदेश पारित किये गये। तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 24.09.2018 को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद खातेदार कल्याण की विरासत का है। कल्याण के एक मात्र पुत्री केली देवी रेस्पोडेन्ट की माता केली देवी है। खातेदार कल्याण के दिनांक 17.2.93 को फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 89 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 4.4.2006 को केली देवी पुत्री कल्याण के नाम भरा गया जिसे ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.05.2006 को घासी पुत्र नारायण जाट के नाम स्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर केली देवी पुत्री कल्याण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के यहां अपील की गयी। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 8.3.2007 द्वारा खारिज कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर केली देवी पुत्र कल्याण ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील की गयी। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय अपील संख्या 17/2009 जिला जयपुर में केली देवी बनाम घासी वगैरहा में निर्णय दिनांक 22.10.2009 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर का दिनांक 8.3.2007 एवं प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 20.05.2006 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चाकसू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर कल्याण के विधिक वारिसान की जांच कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः नामान्तरकरण तय करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जयपुर ने निर्णय दिनांक 24.09.2018 द्वारा केली देवी पुत्री कल्याण की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.05.2006 को निरस्त किया जाकर कल्याण पुत्र नानगा की खातेदारी भूमि ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटखावदा के खसरा नम्बर 376 लगायत 380, 462, 463, 471, 473, 475, 480, 481, 482, 484 व 530 कुल किता 17 कुल रकबा 8.63 हैक्ट. में से कल्याण का हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 469 रकबा 0.07 हैक्ट. किस्म गै0 मु0 चाह में हिस्सा 1/12 की विरासत केली पुत्री कल्याण पत्नि कजोड मल जाति जाट है। केली पुत्री कल्याण की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण रामफूल, मदन पुत्रान कजोड मल, प्रेम देवी, कौशल्या देवी पुत्रियान कजोड मल के नाम दर्ज किये जाने की आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर दिनांक 24.05.20018 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर